

FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत..... सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु..... मुकाम.....

..... बनाम जगदीश वर्मा

किस्म मुकदमा..... नं. 202/2022 सन् 2022.....

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
12/05/2022	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>रिणद्वारा राम विजया</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128</u></p> <p>राजस्थान काशतकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>20/06/22</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">३५ सहायक कलक्टर (SDO) बायतु</p>	
20/06/2022	<p>प्रार्थी वकील उपरिपत्र/विप्रार्थी-गणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी शिखवाचने गणों लिपिकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक <u>22/06/2022</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला बायतु</p>	

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बागलु (बाइनेर) मुकाम

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज

तारीख हुक्म

27/06/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड नोटिस भेजे गये, जिनको करीब एक माह से अधिक समय हो चुका है, न्यायालय समय में अलग-अलग तीन समय में विप्रार्थीगण को आवाज लगाई गई आवाज लगाने के बावजूद विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है, प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए हैं जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने वाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दपतर हो।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला बाइनेर

न्यायालय उपखण्ड
क्रमांक : वाद / 2022 / 1188
प्रार्थी

1. तुम्माराम पुत्र करनाराम
जाति जाट, निवासी, माड...
ठाणी, पटवार, माड...

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद/2022/1188

दिनांक : 27/06/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. लुम्भाराम पुत्र करनाराम,
जाति जाट, निवासी भादुओं की
ढाणी, पटवार मण्डल माडपुरा बरवाला,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. जगदीश पुत्र मेहराराम वगैरा 08,
जाति जाट, निवासी माडपुरा सानी,
तहसील बाड़मेर (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 202/2022

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - भादुओं की ढाणी, पटवार मण्डल - माडपुरा बरवाला, तहसील - बायतु, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 78 रकबा क्रमशः 1.7474 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक : वाद/2022/1189-93

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का माडपुरा बरवाला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री लुम्भाराम पुत्र करनाराम,
4. विप्रार्थी श्री जगदीश पुत्र मेहराराम वगैरा 14,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(जगदीश सिंह आशिया)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 27/06/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला बाड़मेर